FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) बायतु

टीकमाराम बनाम गंगाराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLRA नं. 293/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRA राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/10/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
21/10/2020	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 11/11/2020 पेश हों। [initials]	
11/11/2020	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उप०। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त जिन्हें शामिल मिशल रखा। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न्यायालय समय से अलग-अलग तीन बार आवाज लगाई गई उसके बावजूद विप्रार्थीगण की ओर से स्वयं या कोई अधिवक्ता उप० नहीं हुआ। अत: विप्रार्थीगण स. से 6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

अमल मे लाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 05/01/2021 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

05/01/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित /

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लेण देण आये हुए है खेतो के मध्य जो पुरानी मेडे व कुछ आने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिगड़ गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेतों का सही ज्ञान नही हो पा रहा है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु नेखमवंडी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेखमवंडी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमवंडी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमवंडी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमवंडी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर

(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 1112

दिनांकः– 05/01/2021

राजस्व आवेदन संख्या – 293/2020

प्रार्थीगण

श्री टीकमाराम पुत्र लालाराम वगैरा 7 जाति जाट निवासी खावड़िया, खानजी का तला तह. बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री गंगाराम पुत्र आईदानराम वगैरा 56 निवासी खावड़िया, खानजी का तला तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–नवलदेव छतरी, पटवार मण्डल–चौखला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 693/28, 695/28 रकबा क्रमशः 5.7763, 1.6099 हैक्टेयर व मौजा–खावड़िया, पटवार मण्डल–चौखला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 498/397 रकबा 5.9785 हैक्टेयर व मौजा–करनपुर, पटवार मण्डल–चौखला, तहसील–बायतु के खेत खसरा नम्बर 225/170 रकबा 5.6630 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा करवाकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 05/01/2021

क्रमांक/वाद/2020/ 1113 – 1117

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री टीकमाराम पुत्र लालाराम वगैरा 7।
4. विप्रार्थीगण श्री गंगाराम पुत्र आईदानराम वगैरा 56।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, नागाणा/बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु